I/235222/2022

संख्या:- 72 /2022/ 3822/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019

प्रेषक

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 14 नवम्बर, 2022

विषयः- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कराये जा रहे विभिन्न कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को मार्च 2024 तक हर घर को नल से जल से संतृप्त किया जाना है। उक्त के क्रम में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-190/छिहत्तर-1-2020-25 सम/2019 दिनांक 24 जनवरी, 2020 एवं सपठित शासनादेश संख्या-60/2022/3232/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 26 सितम्बर, 2022, शासनादेश संख्या-16/2021/1948/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19 मार्च, 2021 एवं सपठित शासनादेश संख्या-56/2022/3231/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 26 सितम्बर, 2022, पत्र संख्या-1853/76-1-2022-09 सम/2021 टी0 सी0-1 दिनांक 07 जुलाई,2022, पत्र संख्या-1852/76-1-2022-9 सम/2021 टी0 सी0-1 दिनांक 07 जुलाई, 2022, पत्र संख्या-3053/76-1-2022-9 सम/2021 टी0 सी0-1 दिनांक 20 जुलाई, 2022 एवं पत्र संख्या-2052 /76-1-2022-9 सम/2021 टी0 सी0-1 दिनांक 20 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को निर्धारित समयान्तर्गत मिशन मोड पर पूर्ण किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत विभिन्न घटकों यथा उत्तर प्रदेश जल निगम *(ग्रामीण)*, वेण्डर्स, आई.एस.ए., डी0 पी0 एम0 यू0 आदि द्वारा कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के समस्त कार्यों को मिशन मोड में निर्धारित समयान्तर्गत गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराते हुये पूर्ण कराया जाना है।

3- जल जीवन मिशन का शासन स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों में निम्न कठिनाईयां उजागर हुई है जिनके निराकरण हेतु जिलाधिकारियों को समस्त घटकों में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

i. कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रारम्भिक स्तर पर कराये गये सर्वे में त्रुटियां होने की वजह से भूमि उपलब्धता एवं डी0पी0आर0 की अपलोडिंग में कतिपय ग्रामों में कठिनाई आ रही है। इसमें मुख्यतया निम्न प्रकार की कमियां संज्ञान में आ रही हैं:-

(1) कतिपय गांव, जो एक एजेन्सी को आवंटित थे, उन्हें सर्वे में त्रुटिपूर्ण रूप से जनपद द्वारा दूसरे कान्ट्रेक्टर के नाम दिखा दिया गया है।

(2) सर्वे में कुछ गांवों को ***SLSSC- approved*** दिखाया गया है, जिनकी ***SLSSC*** हुई ही नहीं है।

(3) सर्वे में त्रुटिपूर्ण रूप से कुछ ग्रामों को पूर्व में कवर्ड दिखा दिया गया है, जबकि वास्तव में कवर्ड नहीं है।

(4) कुछ ऐसे भी राजस्व ग्राम हैं, जो ***IMIS*** की सूची में नहीं हैं।

क्रमांक- (1) से (3) में शामिल ग्रामों की प्रविष्टियों को आन लाइन ठीक किये जाने का आप्शन पोर्टल में दे दिया गया है और एडिट डेटा आप्शन का इस्तेमाल करके इसे ठीक किया जा सकता है। कृपया व्यक्तिगत रुचि एवं विशेष ध्यान देकर इन त्रुटियों को ठीक करा दें।

क्रमांक (4) पर वर्णित ग्रामों की एक सूची बना ली जाय। तत्सम्बन्ध में भारत सरकार से शीघ्र ही पोर्टल पर इन परिवर्तनों को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया जा रहा है।

ii. कतिपय जनपदों में अभी भी भूमि उपलब्ध कराया जाना शेष है। ओवर हेड टैंक हेतु आवश्यक भूमि आबादी से दूर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में और भूमि गडढे में होने के कारण परियोजना की लागत बढ जाती है। अतएव समुचित भूमि आबादी के निकट चिन्हित कर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

iii. कतिपय जनपदों में भूमि आवंटन के उपरान्त भी विवाद के कारण योजना के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है, उसे तत्काल निस्तारित कराया जाय। यदि लैण्ड फिलिंग की आवश्यकता है तो स्थानीय संसाधनों से उसकी भराई करा दी जाय।

4- **समस्त ग्रामों का विलेज एक्शन प्लान (VAP)** अतिशीघ्र बना लिया जाय तथा जिन ग्रामों में कार्य हो चुका है या पूर्व में हो चुका था, वहाँ पर राजस्व/ग्राम्य विकास एवं अन्य विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि हर घर को कनेक्शन देते हुए अतिशीघ्र उस ग्राम को **"हर घर जलग्राम"** घोषित कराया जाए और इसे प्रमाणित भी कराया जाए। आधार की उपलब्धता में आ रही कठिनाईयों पर विशेष ध्यान देते हुए समस्त कनेक्शनों का आधार उपलब्ध कराते हुए IMIS पर फीडिंग करायी जाए।

5- इस शासनादेश के साथ संलग्न सूची के संलग्नक 1 से 4 तक उन जनपदों की सूची है, जहाँ कि क्रमशः FHTC का प्रतिशत 0-10, 10-25, 25-50, 50-75 प्रतिशत है। उक्त सभी जनपदों में ऐसे ग्राम, जिनमें कार्य पूर्ण हो गये है, उनका विवरण विभाग के पोर्टल-

jalshakti.up.gov.in पर उपलब्ध है। ऐसे कार्यों में कुछ हाउस होल्ड की संख्या एवं उसके सापेक्ष दिये गये FHTC की संख्या तथा इसका अन्तर, जैसा कि पोर्टल पर उपलब्ध है, इन संलग्नकों में वर्णित है। ये वे कनेक्शन है, जिसको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर हर घर जल बनाया जा सकता है। उपरोक्त संलग्नकों में जनपदवार वह संख्या भी दी गयी है, जिनको पूर्ण करने के पश्चात जनपद अगली श्रेणी में आ सकता है। संलग्नकों को देखने से स्पष्ट है कि अधिकांश जनपद प्राथमिकता में बचे घरों को कनेक्शन दे दें तो भी वह अगली श्रेणी में तत्काल जा सकते है।

6- योजना के क्रियान्वयन हेतु संसाधन सीमित हैं, अतः उनका सही तरीके से एवं समय से नियोजन करने की आवश्यकता है। अतएव एजेन्सी के साथ मशीनरी, लेबर एवं सामग्री आदि की समुचित प्लानिंग कर लें, ताकि कार्य समय से सीमित संसाधनों द्वारा पूर्ण हो सकें।

7- पाइप पेयजल योजना निर्माण की प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा कम्पोनेन्ट वाइज (ट्यूबवेल, बोरिंग की प्रगति, ओवर हेड टैंक की प्रगति, पाइप के क्रय एवं पाइप लाइन के बिछाये जाने, सोलर पैनल के क्रय एवं लगाने, FHTC तथा खर्च) प्रत्येक सप्ताह की जाय। अधिशासी अभियन्ताओं को स्थलीय पर्यवेक्षण हेतु फील्ड में रहने हेतु पर्याप्त समय दिया जाए। इसके अतिरिक्त कार्य की समयबद्धता के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ताओं से जल जीवन मिशन के कार्यों के इतर अन्य कोई कार्य न लिया जाय।

8- अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध विवरण को समय-समय पर अपडेट कराते रहें और इसकी प्रगति सुनिश्चित की जाए।

9- जनपद के इम्प्लीमेण्टेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई.एस.ए.) एवं प्रत्येक ग्राम में गठित ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सक्रिय कर उनके माध्यम से जल संरक्षण, स्वच्छ जल के महत्त्व एवं इनके आप्टिमम उपयोग तथा इसके प्रबन्धन में सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित कराने का प्रयास किया जाए।

10- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज-*4* के *5* जनपदों- आगरा, उन्नाव, बलिया, फिरोजाबाद, मथुरा, प्रयागराज *(*विकास खण्ड-मेजा, कोरांव, माण्डा, शंकरगढ, बारा*)* एवं चन्दौली *(*विकास खण्ड-नौगढ*)* हेतु पोर्टल पर योजनाओं से आच्छादित किये जाने वाले ग्रामों की सूची उपलब्ध है। कृपया उक्त योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि 15 दिसम्बर, 2022 तक भूमि प्राप्त हो जाए।

11- पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गयी सडकों की पुनर्स्थापना/मरम्मत के संबंध में शासनादेश संख्या-61/2022/3393/छिहत्तर-1-2022-21 सम/2022 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

12- पाइप पेयजल योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों यथा- आंगनबाडी

केन्द्रों, आश्रमशालाओं, स्कूलों आदि में प्रत्येक दशा में नल जल संयोजन कराकर निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

13- पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से आपूर्तित जल में ***Residual Chlorine*** की मात्रा प्रत्येक दशा में वितरण प्रणाली के अंतिम छोर पर रहने वाले परिवार तक सुनिश्चित की जाय।

14- उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का ***Bacteriological Contamination*** /रोग जनक सूक्ष्म जीवों से शोधन एवं पेयजल की वितरण प्रणाली के अन्तिम बिन्दु तक ***Pathogens*** की पुर्नवृदिध के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। इस हेतु पानी की गुणवत्ता की जांच लगातार करायी जाए तथा परिणाम पोर्टल पर निरंतर अपलोड कराया जाए

15- प्रदेश में कुल *75* जल परीक्षणशालाएँ स्थापित हैं, जिनमें से एक राज्य स्तर पर एवं *25* जनपदीय परीक्षणशालाएं ***NABL*** से मान्यता प्राप्त हैं, शेष परीक्षणशालाओं को ***NABL*** से मान्यता प्राप्त कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कृपया अपने जनपद से संबंधित परीक्षणशाला को ***NABL*** से मान्यता प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये ***NABL*** से मान्यता प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 11-11-2022 18:44:40
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या- 72 /2022/3822 (1)/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(3) निजी सचिव, मा० जलशक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, नियोजन, नगर विकास, वित्त, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उद्योग एवं राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
(7) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
(9) अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उनके पत्र संख्या-848/ डब्लू-409 (सेन्टेज/ 2021-22) दिनांक 15 जून, 2022 के क्रम में।
(10) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ पंचायती राज विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(11) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)
(12) समस्त परियोजना निदेशक,डी.आर.डी.ए. उत्तर प्रदेश।(द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी)
(13) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संलग्नक-1

0 से 10 प्रतिशत FHTC की श्रेणी के जनपद

Districts between 0% to 10% FHTC Achievement Percentage (%)

Total No. of Districts: 8

Sl. No.	District	No. of Villages where Work Completed	No. of Har Ghar Jal Villages	Difference	No. of Households in Villages where Work Completed	No. of FHTC given in Villages where Work Completed	Difference	No. of FHTC needed to reach Next Milestone
A	B	C	D	E (C-D)	F	G	H (F-G)	I
1	Amethi	97	34	63	50218	17796	32422	409
2	Hardoi	68	52	16	31296	26418	4878	3115
3	Ambedkar Nagar	47	33	14	21325	15758	5567	4465
4	Unnao	165	19	146	94952	30182	64770	9116
5	Ayodhya	55	15	40	26286	11027	15259	10884
6	Azamgarh	174	65	109	57908	35765	22143	13056
7	Sultanpur	68	37	31	22247	16991	5256	8829
8	Sitapur	57	32	25	27717	19664	8053	8303

संलग्नक-2

10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत FHTC की श्रेणी के जनपद

Districts between 10% to 25% FHTC Achievement Percentage (%)

Total No. of Districts: 46

Sl. No.	District	No. of Villages where Work Completed	No. of Har Ghar Jal Villages	Difference	No. of Households in Villages where Work Completed	No. of FHTC given in Villages where Work Completed	Difference	No. of FHTC needed to reach Next Milestone
A	B	C	D	E (C-D)	F	G	H (F-G)	I
1	Gautam Buddha Nagar	23	5	18	17803	6463	11340	446
2	Etah	160	110	50	61138	46668	14470	2196
3	Kanpur Nagar	117	83	34	65907	55526	10381	2567
4	Jalaun	87	21	66	31975	17111	14864	8702
5	Ballia	216	50	166	96494	55014	41480	8963
6	Chitrakoot	100	17	83	29180	16972	12208	9272
7	Ghazipur	483	188	295	141449	82098	59351	11502
8	Agra	232	63	169	135512	69418	66094	13285
9	Sant Kabeer Nagar	254	149	105	51723	33579	18144	14728
10	Jhansi	162	23	139	75023	28363	46660	16243
11	Sonbhadra	263	94	169	90121	29612	60509	16432
12	Banda	103	36	67	65129	27717	37412	17955
13	Mathura	123	43	80	74514	37564	36950	21096
14	Lakhimpur Kheri	213	109	104	184242	115912	68330	21719
15	Maharajganj	192	51	141	96681	58328	38353	25810
16	Lucknow	119	23	96	62970	22415	40555	28330
17	Basti	498	173	325	76944	38447	38497	32578
18	Prayagraj	722	100	622	272344	120821	151523	35642
19	Fatehpur	253	98	155	114422	46919	67503	37263
20	Bijnor	197	32	165	83429	28340	55089	45581
21	Rae Bareli	216	43	173	130255	46704	83551	51699
22	Pratapgarh	419	108	311	115333	50446	64887	58350
23	Auraiya	64	42	22	45802	41199	4603	5851
24	Firozabad	120	94	26	51102	44362	6740	7508
25	Pilibhit	61	40	21	33230	26007	7223	8640
26	Kasganj	63	55	8	21897	19356	2541	11013
27	Sant Ravidas Nagar	114	62	52	22932	15245	7687	13188
28	Amroha	59	37	22	33581	23591	9990	14727
29	Kanpur Dehat	73	51	22	30601	25913	4688	16121
30	Shravasti	48	19	29	28794	16347	12447	16568
31	Hathras	63	24	39	31642	20150	11492	18826
32	Mainpuri	71	46	25	34293	21631	12662	20127
33	Kaushambi	65	27	38	35229	25470	9759	23533

34	Siddharth Nagar	222	115	107	44960	30534	14426	25619
35	Shahjahanpur	146	115	31	43833	36556	7277	27468
36	Budaun	84	72	12	53204	49333	3871	30015
37	Rampur	93	26	67	42111	21582	20529	31787
38	Mau	124	48	76	38607	18666	19941	32708
39	Balrampur	98	47	51	37151	27312	9839	36286
40	Bareilly	113	90	23	49527	40336	9191	37827
41	Moradabad	42	10	32	32610	12117	20493	41365
42	Sambhal	32	11	21	26763	14938	11825	41402
43	Gonda	179	54	125	65188	32455	32733	44963
44	Barabanki	161	121	40	70131	54288	15843	59250
45	Aligarh	67	47	20	36324	32995	3329	61884
46	Jaunpur	153	70	83	45748	29297	16451	86376

I/235222/2022

संलग्नक-3

25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत FHTC की श्रेणी के जनपद

Districts between 25% to 50% FHTC Achievement Percentage (%)

Total No. of Districts: 20

Sl. No.	District	No. of Villages where Work Completed	No. of Har Ghar Jal Villages	Difference	No. of Households in Villages where Work Completed	No. of FHTC given in Villages where Work Completed	Difference	No. of FHTC needed to reach Next Milestone
A	B	C	D	E (C-D)	F	G	H (F-G)	I
1	Hapur	75	54	21	56739	53917	2822	543
2	Ghaziabad	54	39	15	53109	38669	14440	6909
3	Shamli	33	28	5	34710	34144	566	5933
4	Mahoba	121	63	58	42262	29914	12348	12624
5	Meerut	140	95	45	110190	88517	21673	33930
6	Hamirpur	63	31	32	27021	18424	8597	37667
7	Kannauj	185	74	111	106776	79468	27308	40731
8	Farrukhabad	133	78	55	67628	52704	14924	43632
9	Etawah	157	135	22	58679	52051	6628	45956
10	Lalitpur	96	40	56	48138	27710	20428	49851
11	Chandauli	210	168	42	53866	46230	7636	53535
12	Muzaffarnagar	150	61	89	123123	82592	40531	55902
13	Varanasi	262	120	142	85095	55530	29565	59761
14	Gorakhpur	631	360	271	155225	111115	44110	70801
15	Mirzapur	232	176	56	60261	45770	14491	76458
16	Deoria	349	219	130	81104	64070	17034	76081
17	Kushi nagar	387	226	161	161577	106565	55012	100363
18	Saharanpur	135	98	37	92295	76697	15598	106025
19	Bulandshahr	106	83	23	71786	67134	4652	105774
20	Bahraich	227	76	151	121495	81889	39606	131326

संलग्नक-4

50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत FHTC की श्रेणी के जनपद

Districts between 50% to 75% FHTC Achievement Percentage (%)

Total No. of Districts: 1

Sl. No.	District	No. of Villages where Work Completed	No. of Har Ghar Jal Villages	Difference	No. of Households in Villages where Work Completed	No. of FHTC given in Villages where Work Completed	Difference	No. of FHTC needed to reach Next Milestone
A	B	C	D	E (C-D)	F	G	H (F-G)	I
1	Baghpat	82	42	40	78697	61798	16899	41952